UPUN010034572026

न्यायालय विशेष न्यायाधीश, गैंगस्टर एक्ट/अपर सत्र न्यायाधीश, कोर्ट सं0–5, उन्नाव।
पीठासीन अधिकारी– (Shipra Arya), **(उ0प्र0 न्यायिक सेवा) – UP02654**

जमानत प्रार्थना पत्र सं0–1451/2026

अजय सिंह पुत्र रंजीत सिंह, निवासी ग्राम–दोस्ती नगर, थाना–कोतवाली सदर, जनपद–उन्नाव।

.....प्रार्थी/अभियुक्त

बनाम

उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा जिला शासकीय अधिवक्ता, फौजदारी, उन्नाव।

.....विपक्षी

मु0अ0सं0–252/2026
धारा–2/3(1) उ0प्र0 गिरोह
बन्द एवं समाज विरोधी
क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम 1986
थाना–गंगाघाट, जिला–उन्नाव।

दिनांक–20.06.2026

1– प्रस्तुत जमानत प्रार्थना–पत्र अभियुक्त **अजय सिंह** की ओर से **मु0अ0सं0–252/2026, धारा–2/3(1) उ0प्र0 गिरोहबन्द समाज विरोधी क्रिया कलाप (निवारण) अधिनियम 1986, थाना–गंगाघाट, जिला–उन्नाव** के मामले में जमानत हेतु प्रस्तुत किया गया है। जमानत प्रार्थना पत्र के साथ शपथ पत्र रणजीत सिंह का इस आशय का दाखिल किया गया है कि वह पैरोकार मुकदमा है और हालात मुकदमे से पूर्णतया वाकिफ है। अभियुक्त का यह प्रथम जमानत प्रार्थना पत्र है, इसके पूर्व अन्य कोई जमानत प्रार्थना पत्र इस न्यायालय या माननीय उच्च न्यायालय में न दिया गया है, न ही खारिज हुआ है और न ही विचाराधीन है।

2– अभियोजन कथानक के अनुसार, वादी प्रभारी निरीक्षक अजय कुमार सिंह द्वारा यह कहते हुये प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करायी गयी कि, ''गैंग लीडर 1– विपिन सिंह पुत्र शत्रुघन सिंह उर्फ मझिलके, निवासी–बसधना, गंगाघाट, उन्नाव, गैंग सदस्य 2–शिवम सिंह उर्फ छोटू उर्फ सनकी पुत्र जसपाल, निवासी–302 सिविल लाइन कयोटा तालाब, थाना–कोतवाली, उन्नाव, 3–अजय सिंह पुत्र रंजीत सिंह, निवासी–दोस्ती नगर, थाना–कोतवाली, उन्नाव, 4–अभिषेक उर्फ वंश पुत्र राजेश, निवासी ग्राम–थाना गांव, थाना–माखी, जनपद–उन्नाव, के साथ मिलकर संगठित आपराधिक गिरोह कायम किया है, जो अपने भौतिक, आर्थिक एवं दुनियाबी लाभ हेतु अपहरण कर हत्या कर देना जैसा जघन्य अपराध कारित कर जनता मे भय व्याप्त कर अवैध धन अर्जित कर रहे है, जो

Digitally signed by SHIPRA ARYA
Date: 2026.06.20 16:25:04 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court

जनपदीय स्तर पर सक्रिय है। इस गिरोह के गैंग लीडर विपिन सिंह पुत्र शत्रुघन सिंह उर्फ मझिलके व उपरोक्त सदस्यों द्वारा दिनांक 09.03.2026 को मुकदमा वादिनी श्रीमती सुमन शुक्ला पत्नी मनोकान्त शुक्ला, निवासी–बसधना, थाना–गंगाघाट, जिला–उन्नाव के द्वारा प्रस्तुत तहरीर के आधार पर थाना स्थानीय मु0अ0सं0–117/2026, धारा 140(1), 352, 115(2) बी0एन0एस0 पर पंजीकृत होकर प्रारम्भिक विवेचना उपनिरीक्षक को दी गई। उनके द्वारा विवेचना ग्रहण कर अपहृत मनोकान्त शुक्ला की पतारसी सुरागरसी करते हुये साक्ष्य संकलन की कार्यवाही की गई। दौरान साक्ष्य संकलन जानकारी प्राप्त हुई कि एक अजात शव, थाना–माखी क्षेत्र में सिंधूपुर के पास से थाना–माखी, पुलिस द्वारा बरामद कर आवश्यक कार्यवाही करते हुये मोर्चरी हाउस उन्नाव भिजवाया गया है। उक्त सूचना पर चौकी प्रभारी हाजीपुर उपनिरीक्षक कमल किशोर दुबे मय मुकदमा वादिनी व उसके पुत्र शिवदयाल को लेकर शव शिनाख्त हेतु मोर्चरी हाउस पहुंचे तथा उक्त अज्ञात शव की शिनाख्त करते हुये मुकदमा वादिनी ने अपनी पति मनोकान्त शुक्ला व शिवदयाल ने अपने पिता मनोकान्त शुक्ला व कमलाकान्त शुक्ला पुत्र शम्भूदयाल ग्राम–बसधना, गंगाघाट, उन्नाव ने अपने छोटे भाई मनोकान्त शुक्ला के रूप में की। दौराने विवेचना मुकदमा वादिनी श्रीमती सुमन शुक्ला ने अपने बयान में बताया कि मेरे पति मनोकान्त शुक्ला की निर्मम हत्या विपिन सिंह पुत्र शत्रुघन सिंह उर्फ मझिलके सिंह, निवासी ग्राम–बसधाना व शिवम सिंह उर्फ छोटू पुत्र अज्ञात, निवासी–अज्ञात व वंश सिंह पुत्र संजू सिंह, निवासी ग्राम–थाना, थाना–माखी, उन्नाव व अजय सिंह पुत्र अज्ञात, निवासी–दोस्ती नगर, थाना–कोतवाली सदर, उन्नाव ने कर दी है और शव को छिपाने के उद्देश्य से अजय सिंह ने अपने साथियों विपिन सिंह आदि के साथ अपनी गाड़ी वाहन सं0 यूपी 35 बीआर 5590 सेफद रंग की अर्टिगा से ले जाकर मांखी थाना क्षेत्रान्तर्गत सिंधूपुर के पास फेंक दिया। उपरोक्त के आधार पर अभियुक्तगण अभिषेक उर्फ वंश पुत्र राजेश, निवासी ग्राम–थाना गांव, थाना–माखी, जनपद–उन्नाव व अजय सिंह पुत्र रंजीत सिंह, निवासी–दोस्ती नगर, थाना–कोतवाली सदर, उन्नाव का नाम प्रकाश में आया है तथा मुकदमा उपरोक्त में धारा–103(1), 238, 3(5) बी0एन0एस0 की बढ़ोत्तरी की गई तथा मुकदमा उपरोक्त की अग्रेतर विवेचना उसके सुपुर्द हुई। साक्ष्य संकलन के आधार पर नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही करते हुये अभियुक्तगण उपरोक्त को मय आलाकत्ल बांस की लाठी व घटना में प्रयुक्त वाहन सं0 यू0पी0 35 बीआर 5590 सफेद रंग की अर्टिगा कार की बरामदगी कर अभियुक्तगण को रिमाण्ड हेतु माननीय न्यायालय भेजा गया व शेष वांछित अभियुक्त अभिषेक उर्फ वंश पुत्र राजेश, निवासी ग्राम–थाना गांव, थाना–माखी, जनपद–उन्नाव को दिनाक 14.03.2026 को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया। दौराने गिरफ्तारी अभियुक्तगण उपरोक्त ने अपने बयान में एक मत होकर मृतक मनोकान्त शुक्ला पुत्र शम्भू दयाल, निवासी ग्राम–बसधना, थाना–गंगाघाट, जनपद–उन्नाव का अपहरण करके बांस की लाठी से बारी–बारी से मारपीट कर हत्या कर देना व मृतक मनोकान्त के शव को छिपाने के उद्देश्य से वाहन सं0–यूपी 35 बीआर 5590 सेफद रंग की अर्टिगा से ले जाकर मांखी थाना क्षेत्रान्तर्गत सिंधूपुर के पास फेंक देना स्वीकार किया। विवेचना व साक्ष्य संकलन के आधार पर अभियुक्तगण उपरोक्त के विरुद्ध जुर्म धारा 140(1), 115(2), 352, 103(1), 238, 3(5) बीएनएस का अपराध प्रमाणित होने पर अभियुक्तगण उपरोक्त का चालान अन्तर्गत धारा–140(1), 115(2), 352, 103(1), 238, 3(5) बी0एन0एस0 में जरिये आरोप पत्र संख्या–213/2026 दिनांक 15.04.2026 को माननीय न्यायालय किया गया। गैंग लीडर विपिन सिंह पुत्र शत्रुघन सिंह उर्फ मझिलके उपरोक्त द्वारा अपने गैंग के सदस्यों के साथ

आर्थिक एवं भौतिक लाभ हेतु अपहरण कर हत्या कर देना जैसा गम्भीर अपराध कारित किया गया हैं, जिसके कारण आम जनता के लोग अपने साथ अपने आपको असुरक्षित महसूस कर रहे हैं। उक्त गिरोह द्वारा किया गया आपराधिक कार्य गिरोहबन्द अधिनियम की धारा–2 (ख) की उपधारा (एक) से लेकर (पच्चीस) से आच्छादित है, जो गिरोहबन्द एवं समाज विरोधी क्रिया कलाप (निवारण) अधिनियम, 1986 की धारा–3(1) के अधीन दण्डनीय अपराध है। अतः अभियुक्तगण उपरोक्त के विरूद्ध धारा–3(1) उ0प्र0 गिरोहबंद एवं समाज विरोधी क्रिया कलाप निवारण अधिनियम 1986 के तहत रिपोर्ट दर्ज करने की प्रार्थना की है।''

3– अभियुक्त की ओर से यह तर्क किया गया है कि, वह निर्दोष है, उक्त वाद में उसको झूंठा व फर्जी फंसाया गया है। प्रथम सूचना रिपोर्ट में देरी है, जो राय मशवरे के आधार पर की गयी है। उसका ना तो कोई गिरोह है, ना ही वह किसी गिरोह का सदस्य है, उसको रंजिशन उक्त वाद में नामित किया गया है। वह अ0सं0–117/2026 में प्राथमिकी में नामित अभियुक्त नहीं है, उसका नाम दौरान विवेचना प्रकाश में आना कहा गया है। कथित घटना के सम्बन्ध में जनता का कोई गवाह नहीं है, जिससे उसके द्वारा आर्थिक व भौतिक लाभ लेने हेतु उसे भयभीत किया हो और उससे अवैध धन अर्जित किया हो। पुलिस द्वारा उसके विरूद्ध कोई अवैधानिक तरीके की सम्पत्ति की सीजर की कार्यवाही नहीं की गयी। उसके विरूद्ध गैंग चार्ट में दर्शित अपराध सं0–117/2026 के अलावा और कोई मुकदमा नहीं है और ना ही उसका कोई आपराधिक इतिहास है। उसको राजनैतिक द्वेषवश पुलिस क्षेत्रीय नेता के दबाव में आकर गुडवर्क दिखाने के चलते उसको उक्त वाद में झूंठे मुकदमे में फंसा दिया गया है। उसके खिलाफ कभी भी गुण्डा एक्ट या मिनी गुण्डा एक्ट या शांतिभंग की कोई कार्यवाही पुलिस द्वारा नहीं की गयी और ना ही गैंग चार्ट में इनका अंकन है। उसका ना तो कोई गैंग है और ना ही वह किसी गैंग का सदस्य है। उसका उक्त वाद में यह प्रथम जमानत प्रार्थना पत्र है। उसने अन्य कोई जमानत प्रार्थना पत्र ना तो इस न्यायालय के समक्ष, ना ही माननीय उच्च न्यायालय खण्डपीठ लखनऊ के समक्ष दिया गया और ना ही विचाराधीन है और ना ही निरस्त हुआ है। वह जमानत पर छूटने के बाद ना तो कहीं भागेगा और ना ही गवाहान सबूत को तोड़ेगा और ना ही समाज विरोधी किसी भी गतिविधियों में शामिल रहेगा। उसको दौरान मुकदमा जमानत पर रिहा करने की प्रार्थना की है।

4– जमानत प्रार्थना पत्र का घोर विरोध विशेष लोक अभियोजक द्वारा करते हुए यह कहा गया है कि अभियुक्त के विरूद्ध अपहरण, स्वेच्छया चोट पहुंचाना, हत्या करना व साक्ष्य विलोपन जैसे गम्भीर धाराओं में मुकदमा दर्ज हैं। अतः अभियुक्त का जमानत प्रार्थना पत्र निरस्त किये जाने की प्रार्थना की।

5– अभियोजन की ओर से विशेष लोक अभियोजक एवं अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता को सुना तथा प्रपत्रों का अवलोकन किया।

6– पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि, गैंग चार्ट में अभियुक्त के विरूद्ध निम्न मुकदमा दर्शित किया गया है–**1–मु0अ0सं0–117/26, अन्तर्गत धारा–140(1), 115(2), 352, 103(1), 238, 3(5) बी0एन0एस0,** जिसमे अभियुक्त के विरूद्ध अपहरण करना, स्वेच्छया चोट पहुंचाना, हत्या करना व साक्ष्य विलोपन जैसे गम्भीर अपराध का अभियोग हैं। गैंग चार्ट में यह भी दर्शित किया गया है कि अभियुक्त विपिन सिंह गैंग लीडर है तथा अभियुक्त अजय सिंह गैंग का सदस्य हैं एवं अभियुक्त गैंग के अन्य सदस्यों के साथ मिलकर सुसंगठित गिरोह बनाकर आर्थिक, भौतिक व

दुनियाबी लाभ हेतु अपहरण करना, स्वेच्छया चोट पहुंचाना, हत्या करना व साक्ष्य विलोपन जैसे गम्भीर कृत्य कर समाज विरोधी कार्य करते हैं। थाने से प्राप्त आख्या के अनुसार अभियुक्त अजय सिंह का गैंग चार्ट में वर्णित अपराधों के अतिरिक्त निम्न आपराधिक इतिहास–**1–मु0अ0सं0–115/26, धारा–115(2), 191(2), 351(3), 352 बी0एन0एस0 व 3(1) (घ), 3(1) (द) एस0एस0/एस0टी0 एक्ट,** दर्शित हैं।

अवलोकनीय है कि **उ0प्र0 गिरोह बन्द अधिनियम की धारा–19 उपधारा (4) एवं अनिल सिंह बनाम स्टेट आफ यू0पी0 2008(61) ए0सी0सी0 920 में माननीय उच्च न्यायालय द्वारा दिये गये निर्णय के अनुसार "In offence under section 3(1) of UP Gangster Act, bail should be granted only when there are reasonable grounds for believing that the accused is not guilty."**

उपरोक्त संदर्भित प्रावधान एवं माननीय उच्च न्यायालय द्वारा दी गयी विधि व्यवस्था को दृष्टिगत रखते हुए गिरोहबन्द अधिनियम में जमानत तभी प्रदान की जा सकती है कि जब प्रथम दृष्टया यह अवधारित हो जाये कि अपराध न होने के बाबत तर्क पूर्ण साक्ष्य आधार पत्रावली पर उपलब्ध हों।

जमानत प्रार्थनापत्र की सुनवाई के समय यह समाधान या यह निष्कर्ष नहीं दिया जा सकता और न ही यह विश्वास करने का युक्तियुक्त आधार है कि यदि प्रार्थी को जमानत पर छोड़ा गया तो उसके द्वारा पुनः वैसे अपराध या धारा–2बी उत्तर प्रदेश गिरोहबन्द और समाज विरोधी कियाकलाप निवारण अधिनियम 1986 में वर्णित अपराधों को किये जाने की सम्भावना नहीं है। अतः प्रार्थी/अभियुक्त का जमानत प्रार्थनापत्र स्वीकार किये जाने योग्य नहीं है। तद्नुसार अभियुक्त **अजय सिंह** का जमानत प्रार्थना पत्र निरस्त किये जाने योग्य है।

आदेश

अभियुक्त **अजय सिंह** का जमानत प्रार्थना पत्र, **मुकदमा अपराध सं0–252/2026, धारा–2/3(1) उ0प्र0 गिरोह बन्द एवं समाज विरोधी किया कलाप (निवारण) अधिनियम 1986, थाना–गंगाघाट, जिला–उन्नाव** निरस्त किया जाता है।

(शिप्रा आर्य)
विशेष न्यायाधीश, गैंगस्टर एक्ट/
अपर सत्र न्यायाधीश कोर्ट सं0–5,
उन्नाव।